हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16-12-22 पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इसलिए होकर पत्रावली दिनांक 13.02.23 को पेश हो।

13.2.23 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 3 के वकील उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रकरण में मौजा फुलण तहसील समदड़ी अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 268/150 रकबा 10.00 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए धारा 111, 128 RLR Act के तहत नेखमबंदी करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही उक्त भूमि पर पड़ोसी खातेदारान का कब्जा होने से उन्हें बेदखल करवाने हेतु धारा 183 B RT Act. के तहत इस्तदुआ चाही है।
जहां तक आवेदन में प्रयुक्त धाराओं का प्रश्न है, धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की है और धारा 183 B राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की है। दोनों प्रावधानों का क्षेत्राधिकार एक ही न्यायालय का नहीं, होकर दो पृथक पृथक न्यायालयों का है। धारा 111, 128 RLR का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का एवं धारा 183 B RT Act. का क्षेत्राधिकार तहसीलदार न्यायालय का होता है।
पृथक - पृथक क्षेत्राधिकार के मद्देनजर आवेदन चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
आदेश सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बमील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.04.13 17:58:47 IST
Reason: SelfAttested